न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 82/2017

1 हजारीलाल पुत्र स्व. बालुराम उर्फ बालिया नवीरा स्व. शिशपाल जाति धाबाई गुर्जर निवासी पिचानवाासी पुरानी तहसील चिड़ावा वर्तमान तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट

बनाम

1 राजु पुत्र स्व. गुलझारीलाल
2 राजेश पुत्र स्व. गुलझारीलाल
3 श्रवण पुत्र स्व. गुलझारीलाल जाति समस्त धाबाई गुर्जर निवासीगण पिचानवाासी तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
4 मृतक जीवणराम पुत्र स्व. बालुराम जाति धाबाई गुर्जर निवासी पिचानवासव तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं– दौराने प्रार्थना पत्र मृतक
4/1 सावित्री स्त्री जीवणराम
4/2 सुनिल पुत्र जीवणराम
4/3 अनिल पुत्र जीवणराम जाति धाबाई गुर्जर निवासी पिचानवासव तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
4/4 बिमला पुत्री स्व. जीवणराम
4/5 विनोद पुत्री स्व. जीवणराम
4/6 मुनेश पुत्री स्व. जीवणराम
4/7 सिलाब पुत्री स्व. जीवणराम
4/8 पपीता पुत्री स्व. जीवणराम
4/9 सुनिता पुत्री स्व. जीवणराम
जाति धाबाई गुर्जर निवासी पिचानवासव तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5 निहाल सिंह पुत्र स्व. बालुराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

6 रामस्वरूप पुत्र स्व. बालुराम जाति धाबाई गुर्जर निवासी पिचानवासव तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।
7 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
अपील खिलाफ निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांकित 10.01.2017
बअदालत उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ मुकदमा उनवानी राजु
बनाम जीवणराम वगै. मु.नं. 299/2017(223/2007) दावा
बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज बजाज, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री विजेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 20.12.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 299/2017(223/2007) में पारित निर्णय दिनांक 10.01.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने एक वाद खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 9, 10, 11, 99, 104, 111 वाके ग्राम पिचानवासी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांकित 10.01.2017 पारित करने में प्राकृतिक सिद्धान्तों की पालना नहीं की। तत्कालीन विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा ने पत्रावली उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ के न्यायालय में पेश होने के लिये दिनांक 24.01.2017 को तारीख पेशी नियम की थी। लेकिन विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ ने नियत तारीख दिनांक 24.01.2017 से पूर्व दिनांक 26.12.2016 प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस दिये तथा बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये दिनांक 10.01.2017 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित कर दी। कानून से दोनों पक्षकारों को सुनकर निर्णय पारित करना चाहिये था तथा सुनवाई हेतु प्रतिवादीगण पक्षकार को नोटिस जारी करने चाहिये थे। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांकित 10.01.2017 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलानट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया। इस कारण अपीलान्ट विभाजन प्रस्ताव पर न्यायालय के समक्ष आपत्ति दर्ज करने को वंचित रह गये। प्राथमिक डिक्री की पालना मे बने विभाजन प्रस्ताव कब्जा काश्त के मुताबिक भी नहीं थे। इस कारण निर्णय व अंतिम डिक्री विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज होने योग्य है। विचाराधीन निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करने में अपीलान्ट की जवाब देही को नजर अंदाज किया गया है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं

मिला। कानून से निर्णय सभी पक्षकारों के नाम पते व वल्दीयत दर्ज कर अलग से टंकित कर सुनाया जाना चाहिये था। इस प्रकार विचाराधीन निर्णय व डिक्री जैर बहस विधि के प्रावधनों के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी होने के उपरांत अपीलांट इस न्यायालय में प्राथमिक डिक्री की अपील की गई थी। इस न्यायालय में अपीलांट की अपील अदम हाजरी में खारिज होने पर मूल पत्रावली विचारण न्यायालय में प्राप्त होने पर दिनांक 19.02.2016 को पुनः दर्ज कर पक्षकारान की तलबी हेतु वकील प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये है। पत्रावली दिनांक 21.12.2016 को क्षेत्राधिकार के आधार पर उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ को भिजवाई गई है। दिनांक 26.12.2016 को उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ में वादी के अधिवक्ता उपस्थित हुए है। किन्तु अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए इस पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 10.01.2017 को वादीगण को विभाजन प्रस्ताव पर सुनकर अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रक्रिया की पालना कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं रहा है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में प्रकरण की पैरवी नहीं की है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में पत्रावली अपील न्यायालय से प्राप्त होने पर न तो अपीलांट को नोटिस जारी किये गये है, न ही उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ में पत्रावली स्थानान्तरित होने पर अपीलांट को सूचित किया गया है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना में अपीलांट को नोटिस जारी किये बिना, सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर पक्षकारान की आपत्ति प्राप्त कर आपत्ति का निस्तारण कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20.12.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर